# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2018 पुनरीक्षण निगरानी - 5230/2018/रीवा/भू.रा.

श्री ... द्वारा आज दि० 25-8-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 30-8- नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर 25-8-18

1. संतोष पटेल पुत्र स्व. रामायण प्रसाद
2. इन्द्रलाल पटेल पुत्र स्व. रामायण प्रसाद
दोनों निवासी ग्राम बंधवा कोठार तहसील नई गढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)

...... आवेदकगण

विरूद्ध

लीलामणि पुत्र स्व. रामायण प्रसाद पटेल
निवासी ग्राम बंधवा कोठार तहसील नई गढ़ी जिला रीवा (म.प्र.)

........... अनावेदक

**न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज जिला – रीवा (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 119/ए–27/16–17 में पारित आदेश दिनांक 25.07.2018 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।**

माननीय महोदय,

आवेदकगण का निम्नानुसार निवेदन है कि –

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, आवेदकगण के पिता ने अपने स्वत्व स्वामित्व की भूमियों को अपने जीवनकाल में ही आवेदकगण दोनों पुत्र के मध्य वाद भूमियों का बटवारा किये जाने बावत तहसील न्याालय में आवेदन पेश किया था उक्त आवेदन पर तहसीलदार नई गढ़ी ने प्र.कं. 13अ–27/12–13 दर्ज कर अपने आदेश दिनांक 21.05.2013 द्वारा दोनों पुत्र के मध्य वाद भूमियों का पृथक पृथक

(92)

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/5230/18/रीवा/भू.रा., संतोष/बनाम/अमोला

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 9-1-19 | आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी मऊगंज के प्रकरण क्रमांक 119/A-27/16-17 में पारित आदेश दिनांक 25/07/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-11-19 को कलेक्टर जिला रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । <br> सदस्य | |